क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्रथम मंजिल सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, कॉलेज रोड,
पुलिस लाईन के सामने, कॉलेज रोड, जिला–नागौर
Phone No. 01582-294353 Email Id-rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB/RO/NGR/PUB-211/2692 - 2707 **Date:** 29/10/2025

Member Secretary,
State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA),
Jaipur (Raj.)
E-mail: *env.dept@rajasthan.gov.in*

Sub.:- Regarding minutes of public hearing for Environmental Clearance of proposed Mining Project at "**Near Village- Tanwara Jageer, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman** applied by **M/s Smt. Kiran Devi W/o Shri Satyanarayan, Ref. No. 20231000084774, M.L. No. 18/2023, having mine lease area of 1.2345 Hectare and the proposed production capacity- 342160 TPA (ROM) [Saleable masonry Stone- 197964 TPA (ROM), Murrum- 48880 TPA, Top Soil- 73320 TPA & Waste- 21996 TPA] of Masonry Stone mining, which is located in cluster (M.L. No. 31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020] having total Cluster area of 19.2616 Hectare with production capacity of 2811684 TPA (ROM)".**

Ref.:- 1. ToR Issued by SEIAA, Jaipur. File No. RJ/25/SEAC2(06)/MIN/TOR/0427 Dated 16.05.2025.
2. Letter no. 1890 dated 11.09.2025 issued by the District Collector, Didwana-Kuchaman.
3. Public hearing for Environmental Clearance dated 14.10.2025.

Sir,

In continuation to the letter referred above, it is submitted that Public Hearing for the proposed project of **"Near Village- Tanwara Jageer, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman** applied by **M/s Smt. Kiran Devi W/o Shri Satyanarayan, Ref. No. 20231000084774, M.L. No. 18/2023, having mine lease area of 1.2345 Hectare and the proposed production capacity- 342160 TPA (ROM) [Saleable masonry Stone- 197964 TPA (ROM), Murrum- 48880 TPA, Top Soil- 73320 TPA & Waste- 21996 TPA]** of Masonry **Stone mining, which is located in cluster (M.L. No. 31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020] having total Cluster area of 19.2616 Hectare with production capacity of 2811684 TPA (ROM)"** was conducted on 14.10.2025. Minutes of the Public Hearing, Attendance Sheet, Video CD/Pen-drive, Photographs and News Paper cuttings are enclosed herewith for further necessary action. please.

Yours sincerely,

(Rajkumar Meena)
O/c Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

प्रथम मंजिल सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, कॉलेज रोड,
पुलिस लाईन के सामने, कॉलेज रोड, जिला--नागौर
Phone No. 01582-294353 Email ld-rorpcb.nagaur@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

Copy to following for information & necessary action:-

1. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. In-charge, Integrated Regional office, Ministry of Environment, Forest & Climate change, Govt. of India, A 209-218, Aranya Bhawan, Mahatma Gandhi Road, Jaipur.
3. Secretary, Environment Department, Govt. of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
4. District Collector, Didwana-Kuchaman.
5. Additional District Magistrate, Kuchaman City.
6. CEO, Zila Parishad, Nagaur.
7. Regional Manager, RIICO, Nagaur.
8. General Manager, District Industries Centre, Nagaur.
9. Sub-divisional Magistrate, Ladnu, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman.
10. Tehsildar, Ladnu, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman.
11. BDO, Panchayat Samiti Ladnu, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman.
12. Gram Panchayat Tanwara, Tehsil- Ladnu, District- Didwana-Kuchaman.
13. Sabhagar, Atal Seva Kendra, Gram Panchayat Tanwara, Tehsil Ladnu, District Didwana-Kuchaman.
14. IT Cell, RSPCB, Jaipur to display Public Hearing Minutes on website of the State Board.
15. Kiran Devi, M/s M/s Smt. Kiran Devi W/o Shri Satyanarayan, R/o- Village Tanwra Jangir, Tehsil- Landu, District- Didwana-Kuchaman (Raj.) 341303.
    E-mail: *Kirandevi01@yahoo.com*

Regional Officer

ok

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना **मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण**, रेफरेंस नंबर :– **20231000084774**, एम.एल. नं.– **18/2023**, प्रस्तावित क्षेत्र– **1.2345** हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– **342160** टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– **197964** (रोम) टीपीए, मुर्रम– **48880** टीपीए, ऊपरी मृदा– **73320** टीपीए एवं अपशिष्ट– **21996** टीपीए) निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम.एल. नं.– **31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020**), कुल कलस्टर क्षेत्र– **19.2616** हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता – **2811684** टीपीए (रोम) **में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन के प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी श्री राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन** में **दिनांक 14.10.2025 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे से** आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली कुल **खनन इकाईयां 13** है।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"द इंडियन एक्सप्रेस" एवं " दैनिक भास्कर " में दिनांक** 12/09/2025 को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर डीडवाना–कुचामन की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.)** में **खनिज– मेसनरी स्टोन खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका रेफरेंस नंबर :– **20231000084774**, एम.एल. नं.– **18/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.2345 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 342160 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 197964 (रोम) टीपीए, मुर्रम– 48880 टीपीए, ऊपरी मृदा– 73320 टीपीए एवं अपशिष्ट– 21996 टीपीए)** निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम.एल. नं.– **31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020**), **कुल कलस्टर क्षेत्र– 19.2616 हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता – 2811684 टीपीए (रोम) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन** परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उंनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि जिस माईन्स के बारें में अभी जानकारी दी गई है, मैसर्स श्रीमती किरण देवी, उनके पति की एक माईन्स यहां पूर्व से चल रही है, जिन भी नियमों का प्रावधान है, यहां उनकी कोई पालन नहीं की जा रही है। सबसे मुख्य बात यह है कि अभी इन्होंने जो भी बताया, उसमें यह भी बताये कि यह परिवहन कैसे करेंगे, क्योंकि इनके खान के आगे गोचर भूमि लगती है, जिसको यह तहस-नहस करेंगे। अभी इन्होंनें जो खनन योजना बताई है, उसके आगे से कौनसा रास्ता है, कहां से गाड़ी लोड़ होकर के किधर से जायेगी, इसके बारें में भी यह बताये। क्योंकि यहां हमारी गोचर भूमि आती है, जिसे इन्होंनें तहस-नहस कर दिया है, यह आप मौके पर देख सकते है। पहले हमें यह नहीं बताया गया। अब जो माल लोड होगा, कौनसे खसरे से, किस रास्ते से जायेगा?

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह 100 वर्षों से ज्यादा पूराना रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस समय माईन्स बनी थी, पहाड़ी के चारों तरफ गोचर थी व आज भी पहाड़ी के चारों गोचर ही है। 7-8 माईन्स का यहीं एक रास्ता है, खेतों वाले लोग भी इसी रास्तें से खेतों में जाते थे। पांच साल पहले हाईवे बनी थी, तब रास्ता अलग हो गया था, उससे पहले हमारे खेत से ही सभी खेतों का रास्ता था। उस समय कटाण का कोई रास्ता नहीं था। यहां गोचर है।

एडीएम महोदय ने कहा कि प्रस्तावित माईन्स तक जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में बताये। **जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना प्रस्तावक** ने बताया कि उक्त रास्ता गोचर से होकर ही पहाड़ी तक जाता है, यहां कटाणी रास्ता नहीं है।

एडीएम महोदय ने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय से पूछा कि आपके पास आने वाले प्रस्ताव में क्या आप प्रस्तावित माईन्स के रास्तें के बारें में देखते है? **जिसके**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्युत्तर में **क्षेत्रीय अधिकारी महोदय** ने बताया कि उक्त प्रदूषण विभाग से सम्बन्धित नहीं है। प्रदूषण विभाग द्वारा पर्यावरण से सम्बन्धित विषयों पर जांच की जाती है।

एडीएम महोदय ने कहा कि हम सभी यहां भ्रमित हो रहे है, हम सभी यहां सुनवाई पर्यावरण प्रदूषण की कर रहे है। आप जो बात कर रहे है, इसके लिए आप आपत्ति दर्ज करवा सकते है।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यहां 100 साल से रास्ता नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। तो अभी जैसे पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि परियोजना के 15 किलोमीटर के दायरें में कोई भी जलाशय नहीं है, परन्तु यहां पास में ही एक तालाब है, जो राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण यह उसे भी यहां दिखा नहीं रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता भी नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में जलाशय भी नहीं है। खदान के पास शमसान है, वो भी राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, परन्तु शमसान अभी भी मौजूद है। नियम 69 के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के अलावा कोई भी ढ़ांचा पास में मौजूद हो, तो उसको दिखाना जरूरी है, लेकिन इन्होंनें कुछ नहीं दिखाया। वहां बहुत ढ़ांचें मौजूद है, जैसे स्कूल, ग्राउंड, शमसान, जलाशय आदि मौजूद है, परन्तु इन्होंने कुछ नहीं दिखाया।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि जीटी शीट भारत सरकार द्वारा दी जाती है, भारत सरकार की जीटी शीट में जो भी चीज वर्णित है, उन सभी चीजों को हमने दर्शाया है। जीटी शीट के विलोम नहीं जा सकते। ईआईए नोटिफिकेशन, 1986 के प्रारूप के अनुसार, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती है, उसे हम नहीं दिखा सकते।

एडीएम महोदय ने कहा कि यह प्रस्ताव पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है और अभी जन सुनवाई गाँव में है, तो मौके की स्थिति हमें गाँव वाले ही बतायेंगे। श्री महेश आपको इस प्रस्ताव में जो भी समस्या हो, वह आप लिखित में बिन्दुवार दे सकते है। विकास कार्य हेतु परियोजना प्रस्ताव में बताया गया है कि 7 लाख प्रति वर्ष खर्च करेंगे, यहां जितनी यूनिट्स चल रही है, क्या उन्होंनें यह खर्च किये है? ग्रामवासियों को प्रत्येक माईन्स के व्यय की कितनी जानकारी है, इसके सम्बन्ध में पूछा गया।

श्री मेघराज, निवासी तंवरा ने कहा कि यहां 1996 से यह माईनिंग धंधा चल रहा है, उसमें बीच–बीच में कई तरीके की समस्याऐं आती रहती है। यहां किसी की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाती। यहां सभी अपनी मनमर्जी से खनन कर रहे है, बार–बार ऑफिसर आते है, जन सुनवाई के लिए बैठते है। यहां जिनकी जन सुनवाई होनी चाहिए वह एक भी नहीं मिलेगा, जो अपनी बात रख सके वो यहां कोई भी नहीं मिलेगा। जो पिछली जन सुनवाई थी, गाँव की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपने उसे ईसी जारी कर दी, तो फिर यह ड्रॉमा क्यों किया जा रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। यह सुनवाई किसी क्रेशर पर बैठकर कर ली जाये, जैसे जब भी हम शिकायत करते है, तो उसी क्रेशर पर बैठकर निपटारा हो जाता है। चाहे प्रदूषण विभाग से आये, चाहे माईनिंग विभाग से आये आये, चाहे एडीएम महोदय आये, सबको समस्या बताते है, परन्तु कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर पर्यावरणीय सलाहकार ईसी के लिए बहुत अच्छी–अच्छी बातें सुना देते है, परन्तु एक बात पर भी अमल नहीं होता, इसकी गारन्टी कौन ले? आप महोदय चले जायेंगे, हम भी यहां के चक्कर लगा लेंगे, परन्तु जब हमारी बात ही नहीं सुनी, तो यह ड्रामाबाजी क्यों, इस जन सुनवाई को रद्द कर दिया जाये, जिसको भी ईसी या जो कुछ भी जारी करना है, कर दो! यदि इस चीज का कोई अर्थ ही नहीं है, जो हम लोग यहां पर आते है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे है, कि किसी का काम बंद हो जाये। परन्तु उसमें जो भी नियम–कानून लागू है, लेकिन उनकी सही से पालना जरूर हो। एक कमेठी ऐसी हो जो इसको सही से मॉनिटरिंग करें। यहाँ पर इतना प्रदूषण होता है, पत्थर तोड़ने वाली जो क्रेशर मशीनें है, वह रात भर चलती रहती है। अभी कम्पलेंट किया तो दो दिन से नहीं चल रही है, कौन देखता है आपके विभाग में, यहां से नागौर 150 किलोमीटर है, जो रिपॉर्ट देते है क्रेशर के खिलाफ है, दो–चार दिन बंद हो जाती है। यहीं सभी क्रेशर वाले है, सब फर्जी बेचते है, क्यों नहीं बंद कर रहे है, वहीं कानून है। यह छोटी माईन्से है, इनमें इतना क्लेश कर रखा है, आपने क्रेशर का लाईसेंस इनको दे दिया तो यह लोग क्या करेंगे।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि कल शाम को ही हमने ड्रोन से फोटोग्राफी करवाई है, माईनिंग टीम भी यहां थी, क्रेशर के एकदम नजदीक, यहां सब चल रहा है, रोजाना धूल उड़ रही है, जब आप आते हो तो काम बंद हो जाता है, वरना इनका सब काम अवैध चलता है। मेरा निवेदन यहीं है कि नया क्लस्टर तंवरा में नहीं बनाया जाये, हमें यहां पर स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

एडीएम महोदय ने कहा कि यह नया क्लस्टर नहीं बन रहा है, पूर्व का ही बना हुआ क्लस्टर है, जिसमें कुल 13 खनन परियोजनाऐं है, जिसमें से 7 चल रही है, तथा जो 6 बची है, उनमें से ही एक की यह परियोजना है। यह कोई अलग से क्लस्टर नहीं है, पूर्व से निर्धारित क्लस्टर की ही माईन्स् है।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि इनकी पहले भी एक माईन्स है जिसमें खनन किया जा रहा है, यह दूसरी माईन्स अलॉट करवा रहे है, जब इन्होंनें पहले के नियम नहीं माने, तो क्या यह अब मानेंगें? यह सबका रोजाना का रास्ता भी है। यहां चारों तरफ गोचर भूमि है, मेरे पास विडियों पड़ें है। वह गोचर भूमि सबकी होती है, परन्तु हम जब वहां जाते है तो हमें पुलिस बुलाने जैसी धमकियां दी जाती है। इनके पास तो पैसे है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब आपके सामने यह डरा रहे है। जब हमारी भूमि है, तो हम नहीं जायेंगे तो कौन जायेगा। आपके सामने यह धमकी दे रहे है।

एडीएम महोदय ने कहा कि एक ही बात को गुमा फिरा कर कहने की जगह स्पष्ट बात करने से ही समाधान निकल सकता है। आप अपनी लिखित रिपोर्ट में जो भी समस्याऐं है, उन्हें आराम से और तैयार कर लेंवे।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि महोदय हम लिखित में दे देंगे, परन्तु आप देखे, पिछली बार भी आपको लिखित दिया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उसके सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया चल रही है, उससे हमें अवगत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि आप जन सुनवाई में जो भी लिखित/मौखिक देते है वह हम उच्च स्तर पर भेजते है, वह इसका विश्लेषण करते है। हमारा काम होता है, जन सुनवाई करना, आपके सुझाव अथवा शिकायत को कलमबद्ध कर विडियोग्राफी के साथ उच्च स्तर पर प्रेषित करना। यहां जो हो रहा है, उसकी पूरी विडियोग्राफी बिना किसी काट-छांट के की जायेगी।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि हमें किसी के व्यवसाय से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, पर वो अपने रूल्स फोलो करें और चलें।

एडीएम महोदय ने कहा कि मुझे यहां केवल जन सुनवाई करने के लिए भेजा गया है, फैसला लेने का अधिकार मेरे पास नहीं है कि यह ईसी जारी होगी अथवा नहीं होगी। आप लिखित में भी दे सकते है, आप द्वारा लिखित एक भी अक्षर कम

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

नहीं होगा, वो पूरा संलग्न होगा। इस गांव में यह जो जन सुनवाई हुई है, यह सभी शिकायत अथवा सुझाव सामने आये है, इसके बावजूद यह ईसी देनी है या नहीं देनी, वो सब प्राधिकरण समिति का काम होगा, उन तक आप सब की बात को कलमबद्ध कर पहुंचाई जायेगी। अब इसके बावजूद अगर वो ईसी देते है, तो आप बकायदा रिसीव्ड ले सकते है मुझसे और आप आगे जाकर उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो। अब आप चाहो कि फैसला मैं ही सुनाऊँ, तो उसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। आप मेरी बात समझें, मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप अपनी बात लिखित में देवें। यहां तक की इन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यह इतने–इतने लाख खर्च करेंगे। इस क्लस्टर की सारी एजेन्सी जो चल रही है वो 7 लाख रूपये सालाना खर्च कर रही है। मैं तो खुद इनसे पूछ रहा हूँ, कि कौनसे 7 लाख खर्च हुऐं है। जिसके सम्बन्ध में पर्यावरणीय सलाहकार बता रहे है है कि यह जाँच करने का इन्हें अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इनके सभी बिन्दु देख कर आप लिख कर देवें। अब आपकी बात है कि लिख कर दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कि कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहां मुझे अधिकार नहीं है कि आपकी शिकायत पर इनको मिलने वाली ईसी अस्वीकार कर सकता हूँ। आप मुझे लिखित में दे सकते है कि इनके द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और अगर आप इनसे पालन करवा सकते है तो ही इन्हें ईसी दे। आपकी बात उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रस्ताव में जो बताया गया है कि 2 लाख यहां खर्च करेंगे, 5 लाख वहां खर्च करेंगे। इसके लिए आपकी पंचायत माईन्स को लिखित में देगी तथा साथ में प्रशासन को भी देगी। अगर यह खर्च नहीं करते है तो उसकी शिकायत आप जिला कलक्टर तथा साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर में भी कर सकते है। क्या इससे पूर्व आप द्वारा लिखित में दिया है कि इनके द्वारा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है अथवा कहां किया जा रहा है? अगर आप इन्हें प्रस्ताव नहीं देंगे, कि हमें स्कूल में यह कार्य करवाना है, या फिर हॉस्पीटल में यह सुविधा करवानी है, इन सब के लिए आपको एक बार बोलना पड़ेगा। अगर फिर भी यह नहीं करते है तो उसकी शिकायत कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने श्री महेश ढ़िढ़ारियां को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पूर्व में शिकायत की थी, आपने कोर्ट में मुकदमा भी किया हुआ है, आप

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

ऑफिस भी आये थे, बकायदा आपको सभी चीजें सत्यापित करवाई गई थी। अतः आप यह ना कहें कि कुछ नहीं होता। कार्यवाही होती है, लेकिन जो फैसला होगा, वह कोर्ट करेंगा। भोपाल से टीम आई थी, आपने जो भी बताया टीम ने आपके सामने सत्यापन किया, तो क्या आपको उसमें कहीं कोई गलती मिली?

एडीएम महोदय ने श्री महेश ढ़िढ़ारियां से कहा कि आपकी शिकायत पर दो क्रेशरों के बिजली के कनेक्शन कटवाये गये तथा दो क्रेशरों को सीज किया गया तथा प्रदूषण विभाग ने दो क्रेशर के क्लोजर डायरेक्टशन दिये है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

एडीएम महोदय ने कहा कि उपस्थित सभी ग्रामीणों में से कोई और भी अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया आगे आये। आप सभी को पुनः बता देता हूं कि मैं फाइनल ऑथोरिटी नहीं हूँ, कि मैं यह निश्चय कर सकूं कि इसको लाईसेंस मिलेगा, पॉल्यूशन बोर्ड की एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह मेरा अधिकार नहीं है। जन सुनवाई में आपने जो भी पक्ष रखा है, वह संग्रह करके सक्षम स्तर तक तक भिजवाने का काम मेरा है। आपको लिखित में देना है, आप लिख कर दे देवें। किसी को अपनी कुछ बात कहनी हो, वो भी कहें। इस परियोजना के क्लस्टर का पूरा एरिया 19.26 हेक्टयर है, लगभग 120 बीघा टोटल क्लस्टर है, उसमें से एक लाईसेंस जारी करने या ईसी जारी करने के लिए इन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इनका एरिया 1.2345 हेक्टयर अर्थात् लगभग 7.5 बीघा है। मैं पुनः आप सभी ग्रामवासियों से कह रहा हूँ कि मैं पहली बार इस जन सुनवाई में आया हूँ, तो जब यह खान लेते है, तो इनके क्या–क्या दायित्व है, क्या–क्या इनको करना होता है। इसकी कॉपी यहां गांव में भी उपलब्ध करवा देवे, क्योंकि इसमें इन्होंने अलग–अलग बातें प्रस्तुत की है कि यह क्या–क्या करेंगे। जब यह अपने गांव में से पत्थर निकाल रहे है, अपने गांव में यह व्यवसाय कर रहे है, तो इनकी यह सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, तो उसको यह किस प्रकार मैनेज करेंगे। इसमें जल प्रदूषण नियंत्रण प्रबन्धन किस प्रकार करेंगे, ध्वनि प्रदूषण में उसका नियंत्रण एवं उसका प्रबन्धन किस प्रकार करेंगे, प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम किस प्रकार करेंगे, वृक्षारोपण के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण के उपायों के लिए लागत, अर्थात् कितना खर्च करेंगे। यह सब आपकी जानकारी में होगा तभी आप लोग इनको टोक सकते है, जो गांव से पत्थर निकाल रहे है। जो जिस व्यवसाय से

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

कमा कर खा रहे है तथा सरकारी प्रावधान है कि इतना खर्च करना है तो उसे करना ही होगा और बस की बात नहीं है तो बंद कर सकते है। क्योंकि जिस दिन ईसी की क्लियरेंश लेने के लिए हमारे पास आये थे तो हमें यह सपने दिखाये थे, तो इस क्लस्टर के सभी लिज हॉल्डरधारी 7 लाख रूपये साल के खर्च करेंगे और अगर वह खर्च नहीं कर रहे है, नही बस की बात है तो बंद कर दें। आप ये कॉपी ले लेवे तथा इसमें देखे कि कौन पालन कर रहे है, कौन नहीं कर रहे है। पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड तथा माईन्स डिपार्टमेंट सब अपनी जगह है, आप जिला कलक्टर महोदय को यह लिखित में शिकायत दे सकते है कि साहब प्रस्ताव में यह प्रावधान दिये गये है, लेकिन जो लीज चल रही है, उनके द्वारा यह पालना नहीं की जा रही है। जहां तक बात है पालना करने की, तो एक बार आप लिखित में दे तो सही, आप धेर्य रखे, समय दें, मौका दें। मुझसे रिसिवड ले, कि आपने मुझे ये दी है। मैं साइन करके लूंगा, कि इस पर कार्यवाही कर दी जायेगी। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आप ना केवल इन विभागों की, आप मेरी भी शिकायत कर सकते है, कि आपने मुझे यह लिखित में दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। आप अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। पत्थर निकलेगा यह नहीं रूकेगा, परन्तु जो पत्थर निकालने का प्रावधान है, सरकार के द्वारा, प्रदूषण विभाग द्वारा, माईनिंग विभाग द्वारा उसकी पालना करके वो निकाले किसी को कोई परेशानी नहीं है। अतः आप सभी लिखित में दे, अगर नहीं पालना की जा रही है तो पालना करवायेंगे।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि प्रस्ताव में बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के उपायों की लागत, प्रदूषण निगरानीः परिवेशी वायु निगरानी, शोर, जल गुणवत्ता और मृदा गुणवत्ता निगरानी के लिए 1 लाख रूपये, यह किस प्रकार से खर्च होते है, क्या कोई मशीन लगी है, यह किस प्रकार एक लाख रूपये लगते है?

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि 6–6 माह के उपरांत एनएबीएल द्वारा इसका टेस्ट कर रिजल्ट दिया जाता है, केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रिजल्ट आ रहे या नहीं आ रहे है। अगर वह मानकों में नहीं आता है तो उसकी शिकायत आप प्रदूषण विभाग में कर सकते हो, उस पर एक्शन लिया जाता है।

श्री महेश कुमार ढ़िढ़ारिया निवासी तंवरा ने कहा कि उक्त टेस्ट के लिए क्या मशीनें आती है या ऐसे ही होती है व उसकी पूर्व सूचना कब दी जाती है, कि इस

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

दिन यह मशीन आयेगी? इसमें यह प्रस्तावित है कि हॉल रोड/एप्रोच रोड का निर्माण व रखरखाव कार्य, परन्तु आज तक इनके द्वारा कोई रोड़ पर कार्य नहीं हुआ है। निकटवर्ती सरकारी स्कूल/पीएचसी केन्द्र और ग्राम पंचायत में वर्षा जल संचयन हेतु 3 लाख रूपये प्रस्तावित है।

पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमनें जो भी होता है, सब कुछ आपको बता दिया है। इम्पलीमेंट में लाने की जितनी जिम्मेदारी बोर्ड की है, उतनी ही जिम्मेदारी आप की भी बनती है, आप परियोजना प्रस्तावक के पास बैठ कर इम्पलीमेंट करवाये।

श्री मेघराज, निवासी तंवरा ने कहा कि जैसा कि आपने कहा कि हम आपके साथ मिलकर प्रस्तावित योजनाओं पर विचार–विमर्श करें, परन्तु कोई भी लिजधारी, पट्टेधारी है, वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करतें।

मुकेश कस्वां, निवासी तंवरा ने कहा कि पूरे तंवरा ग्राम पंचायत में 3000–3500 वोटर है, परन्तु माईनिंग से प्रॉब्लम केवल इन दो लोगों को ही है और किसी के भी आपत्ति नहीं है। गाँव में केवल इन तीन–चार लोगों की ही दिक्कत है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में प्राप्त आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

श्री राकेश कुमार गुप्ता,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण, रेफरेंस नंबर :– 20231000084774, एम.एल. नं.– 18/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.2345 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 342160 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 197964 (रोम) टीपीए, मुर्रम– 48880 टीपीए, ऊपरी मृदा– 73320 टीपीए एवं अपशिष्ट– 21996 टीपीए) निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम.एल. नं.– 31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020), कुल कलस्टर क्षेत्र– 19.2616 हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता – 2811684 टीपीए (रोम) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील– लाड़नू, जिला– डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 14.10.2025, समयः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार गुप्ता	ADM Kdr	[signature]
2	Raj Kumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
3.	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
4.	Umesh Sharma	EIA Coordinator [illegible] PVT. LTD	[signature]
5	Devendra Bedi	Sujangarh	Devendra Bedi
6	नवरतन	[illegible]	नवरतन
7	सत्यनारायण प्रजापत		S.N. Prajapat
8	किरण देवी	प्रतिनिधि	किरण देवी
9	अनिता	तंवरा	अनिता
10	Gopal R[illegible]	तंवरा	Gopal [illegible]
11	ओम प्रकाश	तंवरा	ओम प्रकाश
12	हनुमानमल	किराणा [illegible] 9829609892	हनुमानमल
13	दामोदर प्रजापत	जसवंतगढ़ [illegible]	दामोदर
14	डूंगराराम	तंवरा 9829691789	[signature]
15	बाबूलाल [illegible]	[illegible]	बाबूलाल
16.	Sujeet Singh	[illegible]	Sujeet
17	Shiv Bhagwan Sharma	9101440861	[signature]
18	Mohit Sharma	9950111427 सुजानगढ़	Mohit
	[illegible]	9587198378	[signature]

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण**, रेफरेंस नंबर :– **20231000084774**, एम.एल. नं.– **18/2023,** प्रस्तावित क्षेत्र– **1.2345** हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– **342160** टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– **197964** (रोम) टीपीए, मुर्रम– **48880** टीपीए, ऊपरी मृदा– **73320** टीपीए एवं अपशिष्ट– **21996** टीपीए) निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम.एल. नं.– **31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020**), कुल कलस्टर क्षेत्र– **19.2616** हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता – **2811684** टीपीए (रोम) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील– लाड़नू, जिला– डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 14.10.2025, समयः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
20	Amit	7297081661	[signature]
21	Ankit kumar	9636066246	[signature]
22	परमेश्वर	9558458703	परमेश्वर
23	बनवारी लाल तंवरा	9783395407	बनवारीलाल
24	बक्तावर	9413212485	तंवरा
25	कजोडीमल	9460631513	तंवरा
26	बालगिरि	221481	[signature]
27	Radhe shyam	7023126521 लाडनू	Radhe
28	Sandeep Jangid	9975580758	Sandeep
29	Jeet	9950677981	[signature]
30	मदनलाल किशोरया	9828141451	[signature]
31	अशोक खान	9828399814 तंवरा	अशोक
32	विशाल सैनी	9588981855 सुजानगढ़	[signature]
33	नेमाराम मेघवाल	9414743619 लाडनू	नेमाराम
34	राजु सोनी	निम्बाज	राजु सोनी
35	नन्दलाल नेनाराम	8980560930 लाडनू	नन्दू नाम
36	रामप्रसाद डेरवा	9680838247 लाडनू	रामप्रसाद डेरवा
37	अभिषेक पुनिया	9521432365 धनकोली	Abhishek
38	ओमप्रकाश	9982531236 तंवरा	ओम

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण**, **रेफरेंस नंबर :– 20231000084774**, एम.एल. नं.– **18/2023,** प्रस्तावित क्षेत्र– **1.2345** हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– **342160** टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– **197964** (रोम) टीपीए, मुर्रम– **48880** टीपीए, ऊपरी मृदा– **73320** टीपीए एवं अपशिष्ट– **21996** टीपीए) निकट गांव– तंवरा जागीर, तहसील– लाड़नूं, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम.एल. नं.– **31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020**), कुल कलस्टर क्षेत्र– **19.2616** हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता – **2811684** टीपीए (रोम) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील– लाड़नू, जिला– डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः 14.10.2025, समयः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
39	मुकेश	9024560902	मुकेश
40	किशन सिंह	8949885855	किशन सिंह

दिनांक

श्रीमान जनसुनवाई अधिकारी

ग्राम पंचायत लबेरा - लाडनूं

जिला - डिडवाना कुचामन

विषय - प्रकरण निस्तारण करावे

प्र.स. 45/2002 —

प्र.स. 115/90 —

प्र.स. 176/91 —

खान वाले प्रदूषित पानी छोड़ रहे हैं। चारागाह में छोड़ रहे खसरा नं. 132 में जिसका वीडियो बनाया हुआ है।

डूंगरराम खोखर
(लाडसर)
861937775

सेवा में

श्रीमान जनसुनवाई अधिकारीगण
ग्राम पंचायत तेवरा, तहसील लाडनूं
जिला - डिडवाना - कुचामन

R.O.

14/10/25

विषय :- M.L No 48/2023 श्रीमती किरण देवी पत्नि श्री सत्यनारायण निवासी तेवरा की मेसोनरी स्टोन खनिज की क्लस्टर माइन्स खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आपत्ति दर्ज करने बाबत शिकायत पत्र

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर नम्र निवेदन है कि :-

1. इस खान में परिवहन के लिये कोई वैध रास्ता नहीं है सभी रास्ते गोचर भूमि से होकर निकलते है और गोचर भूमि को तहस - नहस कर दिये है।

2. ग्राम पंचायत तेवरा में आज तक कोई पौधा खनिज लीजों द्वारा नहीं लगाया गया है, और अगर पौधा लगाया गया है तो उसके सबूत ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किये जाये।

3. प्रस्तावित खनिज क्लस्टर के पास जलाशय, शमसान भूमि, कुआं, गोचर भूमि, खेल मैदान व कन्या पाठशाला मौजूद है जिसको प्रस्तावक ने अपनी परियोजना में दर्शाया नहीं है।

4. खनन कार्य से जल अपशिष्ट भी निकलता है जो पाईपों के द्वारा गोचर भूमि में छोड़ा जाता है। जिसके सबूत के तौर पर गोचर में चारों तरफ पाईप लाईन डाली हुई पड़ी है।

5. तंवरा में माइनिंग शुरू हुये 35 वर्ष हो गये लेकिन इन 35 वर्षों में इन लोगों ने कोई पेड़ पौधे नहीं लगाये, अगर लगाये होते तो आज तक कितने बड़े हो गये होते?

अतः आपसे निवेदन है कि आप इस E.C के आवेदन को तुरंत निरस्त करें व हम ग्रामवासियों को राहत प्रदान करें।

भवदीय

समस्त ग्रामवासी

तंवरा

महेश कुमार पिड़ारिया

9772842542

डूंगरमल ओयल

8619387756

M R Tanwar

9602427701

शहर-समाज

04:37 कृत्तिका 4 · स्वर्ण वृष ए

राशिफल

मेष : शुभ अंक 2 शुभ रंग बादामी : व्यर्थ की बातों में समय व धन बर्बाद होगा। सामूहिक कामों में सबकी सलाह से फैसला लेना लाभदायी रहेगा। मित्रों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे। मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी।

वृष : शुभ अंक 4, शुभ रंग जामुनी : कार्ययोजना में बदलाव लाभदायक हो सकता है। टालमटोल की नीति नुकसानदायी रहेगी। लोग झूठ बोलकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

मिथुन : शुभ अंक 7, शुभ रंग काला : अनावश्यक विवाद से परेशानी बढ़ सकती है। निजी काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। दौड़धूप के शानदार परिणाम मिलेंगे। मित्रों से चल रहा मनमुटाव दूर होगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी।

कर्क : शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी : अच्छे सौदे हाथ से निकलने का मलाल रहेगा। पुराने फैसलों को बदलना पड़ सकता है। परिजनों के सहयोग से उलझे मामले सुलझा लेंगे। आय-व्यय में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे।

सिंह : शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा : निजी कामों को लेकर दौड़धूप करनी पड़ेगी। अध्ययन में बाधा महसूस करेंगे। जानबूझकर सहकर्मी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मित्रों के साथ यात्रा संभव है। विवाद से छुटकारा मिलेगा।

कन्या : शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद : महत्वपूर्ण मामलों में त्वरित फैसला लें, सफलता मिलेगी। भावनात्मक संबंधों में मधुरता संभव है। स्वास्थ्य में सुधार से राहत मिलेगी। अटका धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

तुला : शुभ अंक 8, शुभ रंग आसमानी : दिखावे के चलते कर्ज लेना पड़ सकता है। कारोबारी मामलों में सफलता मिलेगी। अधिकारियों से संपर्क का लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश का लाभ मिलने की उम्मीद है।

वृश्चिक : शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल : चल रही समस्या मित्रों के सहयोग से दूर होगी। कार्यस्थल पर टकराव संभव है। दुविधा की स्थिति से छुटकारा मिलेगा। किसी बात को लेकर परिजनों से कहासुनी हो सकती है।

धनु : शुभ अंक 1, शुभ रंग गुलाबी : व्यापारिक साझेदारी लाभदायी हो सकती है। छोटी-छोटी बातों को तूल देने से समस्या बढ़ सकती है। नौकरी के लिए इंतजार कर रहे लोगों को खुशखबरी मिलेगी। आस्था बढ़ेगी।

मकर : शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी : नए सौदे हाथ आने से लाभ संभव है। पारिवारिक रिश्तों में चल रहा टकराव दूर होगा। अटका धन मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारी मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है। धैर्य रखें।

कुंभ : शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला : मनचाहा काम नहीं मिलने से निराश होगी। प्रॉपर्टी के क्रय-विक्रय से लाभ मिल सकता है। लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें। कार्यक्षेत्र में बदलाव की संभावना है। आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

मीन : शुभ अंक 9, शुभ रंग जामुनी : मित्रों के व्यवहार से मन को ठेस पहुंच सकती है। पूजा-पाठ में मन लगेगा। उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना नुकसानदायी रहेगी। कॅरियर में बदलाव के आसार हैं। खर्च संभव है।

महोत्सव धूमधाम और भक्ति-उत्साह के साथ मनाया जाएगा। आगामी 22 सितंबर को विधि-विधान से माताजी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और उसके बाद लगातार नौ दिन तक गरबा महोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए मां अम्बे नवरात्रा समिति का गठन सर्वसम्मति से कर लिया गया है।

मां अम्बे नवरात्रा समिति चौक का बास की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से हुआ। अध्यक्ष योगेश पंवार, उपाध्यक्ष खुश गहलोत, कोषाध्यक्ष हनी कुमार, सचिव गौरव टाक, महामंत्री कार्तिक जादम सहित कार्यकारिणी सदस्य - कार्तिक सांखला, आशीष, चीकू गहलोत, मणि कुमार।

नवरात्रा महोत्सव के सफल आयोजन के लिए संरक्षक मंडल भी गठित किया गया है। इसमें पार्षद मोहित माली, सुरेश पंवार, राहुल आचार्य, रामकिशोर गहलोत, पवन सांखला, राहुल टाक और अंकुर जादम को शामिल किया गया है। समिति के संरक्षक मोहित माली ने बताया कि इस बार का आयोजन पहले से भी भव्य होगा और इसमें समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

माताजी की प्रतिमा स्थापना के बाद नौ दिनों तक गरबे का आयोजन होगा। अलग-अलग टीमों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

मेड़ता सिटी. पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए स्थानीय संघ।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ, मेड़ता के तत्वावधान में गुरुवार को इस सत्र की प्रथम कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अर्जुन राम और स्थानीय संघ प्रधान मनोहर लाल गहलोत ने की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से हुई, इसके बाद सभी पदाधिकारियों का स्कार्फ द्वारा स्वागत किया गया।

बैठक में सचिव श्रीकिशन जादम ने गत बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि कोषाध्यक्ष सुखदेव दाधीच ने 2025-26 का आय-व्यय विवरण रखा। पूर्व सचिव गोपाल सिंह चारण ने कहा कि स्थानीय संघ मेड़ता के लिए यह गर्व का विषय है कि यहां से एक साथ चार हिमालय वुड बैज पूरे हुए। इसमें स्काउटर श्रीकिशन जादम, सुखदेव दाधीच, किशोर कुमार सैनी और जितेंद्र सिंह देवली शामिल रहे। इस अवसर पर सहायक जिला कमिश्नर अर्जुन राम ने कहा कि स्काउट संगठन विद्यार्थियों में अनुशासन और सेवा की भावना विकसित करने का काम करता है। वहीं सहायक जिला कमिश्नर श्रीराम खोजा ने वार्षिक अधिवेशन की तैयारी और बकाया कोटामनी की सूची समय पर बनाने पर जोर दिया।

वार्षिक अधिवेशन मेड़ता में होगा यूसीईओ पांचाराम डिया ने घोषणा की कि स्काउट गाइड का वार्षिक अधिवेशन उनके विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेड़ता में आयोजित किया जाएगा। सहायक सचिव जगदीशलाल गुर्जर ने स्काउट गाइड भवन के ऊपरी हिस्से को गाइड गतिविधियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। कार्यकारिणी बैठक में प्रधानाचार्य एवं सहायक जिला कमिश्नर भीखाराम अजनबी, उपप्रधान सोनाराम चौहान व नारायण गोड, ऑडिटर सुरेंद्र सिंह राठौड़, संयुक्त सचिव प्रज्ञा पारीक और सीमा शर्मा सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

नवरात्रा महोत्सव समिति का गठन • कार्यकारिणी सहित कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे

सिद्धि विनायक मंदिर में गूंजी तैयारियों की गूंज

भास्कर न्यूज | मेड़ता सिटी

जेतारण चौकी के पास स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में युवाओं की बैठक आयोजित हुई। जिसमें नवरात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रा महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत नवरात्रा महोत्सव समिति का गठन सर्वसम्मति से किया गया, जिसमें शहर के युवा और समाजबंधुओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि नवरात्रा महोत्सव को इस बार और भी भव्य एवं सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाएगा। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को सजाया जाएगा और गरबा, भजन-संध्या और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से महोत्सव को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग दिया जाएगा।

मेड़ता सिटी. समिति सदस्य सहित कार्यकर्ताओं का किया स्वागत।

नवरात्रा महोत्सव: व्यवस्थाओं में जुटे कार्यकर्ता

नवरात्रा महोत्सव की तैयारियों को लेकर तरुण वैष्णव, रवि, महेश गहलोत, सुशील टाक, हिम्मत सिंह, महेश जांगिड़, सुरेश माली, एसपी पुरोहित, दिनेश सेन, कैलाश माली, श्रवण माली, राम अवतार सांखला और आशीष सोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता अभी से सक्रिय हो गए हैं। समिति ने तय किया है कि इस बार महोत्सव को अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष लाइटिंग, मंचीय कार्यक्रम और सुरक्षा इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

समिति का गठन समिति में जिम्मेदारियां सौंपी

अध्यक्ष महेंद्र टेलर, सचिव सुनील पुरी, कोषाध्यक्ष महेंद्र निभावत, उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह, महामंत्री विकास अजमेरा, सह कोषाध्यक्ष मुकेश दाधीच, मंत्री श्याम सांखला, प्रचार मंत्री कालू गहलोत, मान सिंह पंवार, सह सचिव अर्जुन गहलोत, जोरावर पंवार, संगठन मंत्री पप्पू जांगिड़, सागर सांखला, सुनील पालड़िया, मीडिया प्रभारी राजू सेन, साथ ही सुमेर सैनी, रमेश जांगिड़ और पूर्व अध्यक्षों को समिति का संरक्षक बनाया गया।

प्रबन्ध निदेशक

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line,
District- Nagaur 341001 , Email rorpcb.nagaur@gmail.com
RPCB/RO NGR/PUB-212/1931-1938
Date: 11.09.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री गोगा पीर स्टोन उद्योग, रेफरेंस नंबर-202410000114546, प्रस्तावित क्षेत्र 1.0452 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 254890 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य 149526 टीपीए, मुरम- 56800 टीपीए, ऊपरी मृदा- 31950 टीपीए एवं अपशिष्ट- 16614 टीपीए) निकट गांव लोड़सर, तहसील लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, क्लस्टर (रेफरेंस नंबर- 202410000114546, 202410000115304, एम.एल. नं. 14/2020, 27/2023, 28/2018, 29/2018), कुल क्लस्टर क्षेत्र 10.0250 हेक्टेयर तथा कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता - 1257780 टीपीए (रोम) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स श्री गोगा पीर स्टोन उद्योग को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है - 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।, 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन।, 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।, 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।, 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।, 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।, 9. उपखण्ड अधिकारी, लाडनू।, 10. तहसीलदार, लाडनू।, 11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- लाडनू।, 12. ग्राम पंचायत, तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन।, 13. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला- डीडवाना-कुचामन।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 14.10.2025 (मंगलवार) को दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक, स्थान सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला-डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line,
District- Nagaur 341001 , Email rorpcb.nagaur@gmail.com
RPCB/RO NGR/PUB-211/1951-1956
Date: 11.09.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण, रेफरेंस नंबर-20231000084774, एम.एल. नं. 18/2023 प्रस्तावित क्षेत्र 1.2345 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 342160 टीपीए (रोम) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन 197964 (रोम) टीपीए, मुरम- 48880 टीपीए, ऊपरी मृदा- 73320 टीपीए एवं अपशिष्ट- 21996 टीपीए) निकट गांव तंवरा जागीर, तहसील लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन (राज.) जो कि मेसनरी स्टोन खनन, कलस्टर (एम. एल. नं. 31/2023, 13/2020, 59/2019, 20/2022, 30/2023, 35/2014, 248/2009, 18/2023, 06/2024, 11/2024, 10/2024, 11/2025, 13/2020), कुल कलस्टर क्षेत्र 19.2616 हेक्टेयर तथा कुल कलस्टर उत्पादन क्षमता - 2811684 टीपीए (रोम) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चुकि मैसर्स श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है :- 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।, 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन।, 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।, 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।, 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।, 8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।, 9. उपखण्ड अधिकारी, लाडनू।, 10. तहसीलदार, लाडनू।, 11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- लाडनू।, 12. ग्राम पंचायत, तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला डीडवाना-कुचामन।, 13. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला- डीडवाना-कुचामन।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 14.10.2025 (मंगलवार) को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, स्थान सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत तंवरा, तहसील- लाडनू, जिला-डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

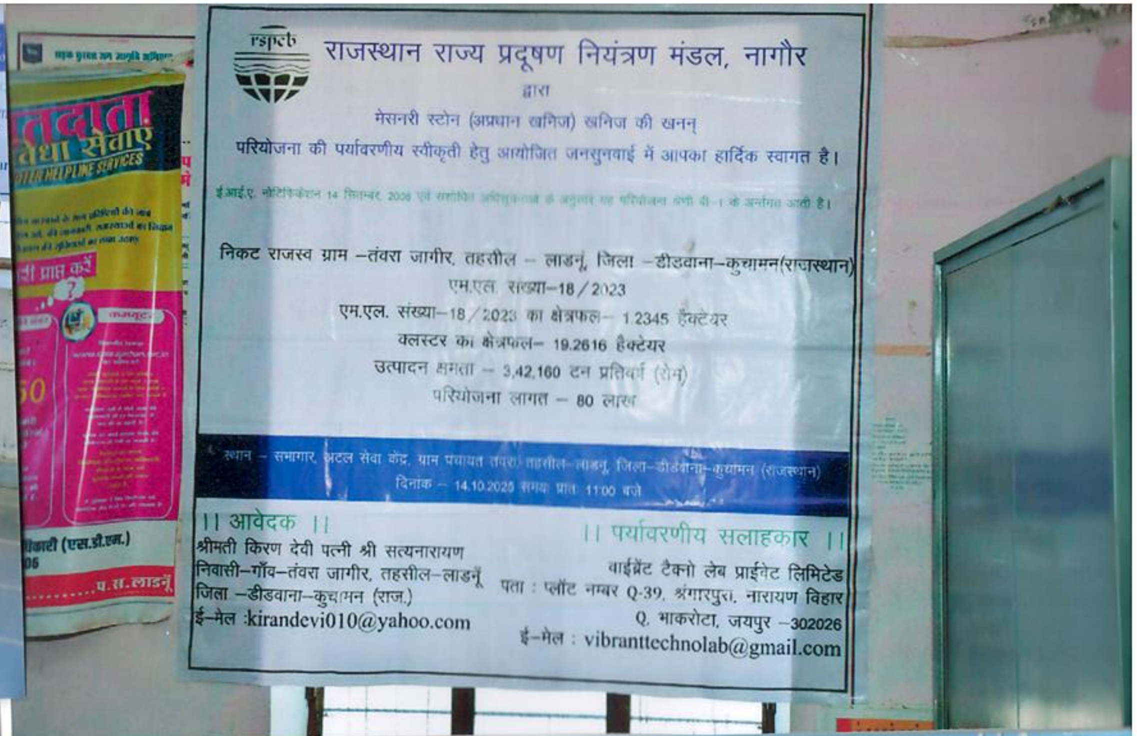
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर
द्वारा
मेसनरी स्टोन (अप्रधान खनिज) खनिज की खनन्
परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु आयोजित जनसुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
निकट राजस्व ग्राम –तंवरा जागीर, तहसील – लाडनूं, जिला –डीडवाना–कुचामन(राजस्थान)
एम.एल. संख्या–18 / 2023
एम.एल. संख्या–18 / 2023 का क्षेत्रफल– 1.2345 हैक्टेयर
क्लस्टर का क्षेत्रफल– 19.2616 हैक्टेयर
उत्पादन क्षमता – 3,42,160 टन प्रतिवर्ष (रोम)
परियोजना लागत – 80 लाख
दिनांक – 14.10.2025 समय प्रातः 11:00 बजे
।। आवेदक ।।
श्रीमती किरण देवी पत्नी श्री सत्यनारायण
निवासी–गाँव–तंवरा जागीर, तहसील–लाडनूं
जिला –डीडवाना–कुचामन (राज.)
ई-मेल :kirandevi010@yahoo.com
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
पता : प्लॉट नम्बर Q-39, श्रृंगारपुरा, नारायण विहार
Q. भाकरोटा, जयपुर –302026
ई-मेल : vibranttechnolab@gmail.com

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
ई-मित्र

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर
1950
ई-मित्र प्लस

e-mitra+
ई-मित्र प्लस

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर
1950
ई-मित्र प्लस

1950